न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 205/2023

आशा पुत्र चकमल जाति मेव निवासी ग्राम कुकरपुरी तहसील पहाडी

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश शर्मा वकील वादी

दिनांक :— 05/04/2024

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खाता संख्या 107 के खसरा नम्बर 269/0.18, 292/0.02, 304/0.44, खाता संख्या 122 के खसरा नम्बर 301/0.13, 302/0.13 हैक्टर बांके ग्राम कुकरपुरी तहसील पहाडी में स्थित है। खसरा नम्बर 269, 292, 304 के सम्पूर्ण रकबा तथा खसरा नम्बर 301,302 के 1/4 हिस्से का वादी रिकॉर्डेड गैरखातेदार काश्तकार काबिज आराजी दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी मुतदाविया पूर्व में वादी के पिता चकमल पुत्र बुद्धी की कब्जे काश्त की आराजी थी पिता वादी ने आराजी को अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक एक खातेदार की हैसियत से काश्त की और उसके मरने के बाद से अब वादी आराजी पर निरन्तर रूप से खातेदार की हैसियत से कब्जा काश्त चला आ रहा है और आज भी वादी का ही कब्जा काश्त है। इस प्रकार आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। जो कि धारा 16 के तहत नहीं आती है। आराजी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के लागू होने से पूर्व से ही वादी के बुजुर्गान की गैरमौरोसी का रकबा था जिसे कानूनन रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज कर देना चाहिए था लेकिन आज भी वादी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन करा पाने के अधिकारी है। वादी को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादी विवादित आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है ।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डींग)

Scanned with OKEN Scanner

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 13/11/2023 को वादी के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादी के पिता चकमल पुत्र बुद्धी गैरमौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे । अब वादी का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है । मुताबिक कानून वादी को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादी को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया आराजी मुतदाविया स्थित ग्राम कुकरपुरी वादी की पुश्तैनी आराजी है और आराजी वादी मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अपने बुजुर्गान के समय से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर काबिज काश्त है।

........वादी

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया वादी अपने कब्जे काश्त की आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर रिकॉर्ड में मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अपने–आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।

........वादी

3 :– दादरसी ।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 आशा, का शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–16, 2023–26, 2037–41, 2046–49, 2050–53, 2054–57, 2062–65, 2070–75 एवं नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2009–12,2010–13, 2015–18, 2018–21, 2022–25, 2034–37, 2038–41, 2042–45, 2046–49, 2054–56, 2070–73 व मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस में वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या :– 1</u> आया आराजी मुतदाविया स्थित ग्राम कुकरपुरी वादी की पुश्तैनी आराजी है और आराजी पर वादी मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अपने बुजुर्गान के समय से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर काबिज काश्त है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक आराजी वादी के पिता की आराजी है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2023–26 में आराजी वादी के पिता चकमल पुत्र बुद्धी की आराजी थी। वादी के पिता चकमल पुत्र बुद्धी के गुजरने के बाद वादी ने वारिसान के रूप में काश्त की अब वादी का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड आराजी पर कब्जा काश्त है। आराजी पर वादी के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से ही बतौर गैर मौरोसी राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज है। आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या :– 2</u> आया वादी अपने कब्जे काश्त की आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर रिकॉर्ड में मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड अपने–आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। वादी का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादी अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

अतः आज्ञा है कि :—

दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खाता संख्या 107 के खसरा नम्बर 269/0.18, 292/0.02, 304/0.44, खाता संख्या 122 के खसरा नम्बर 301/0.13, 302/0.13 हैक्टर बांके ग्राम कुकरपुरी तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/04/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी, (डीग)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग)